UPPG010032592024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।

पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय (एच 0 जे0 एस 0)

JO Code–UP 6467

फौजदारी निगरानी संख्या–129/2024

सन्तबख्श सिंह आयु लगभग 71 वर्ष, सुत स्व 0 माता बदल सिंह,
निवासी ग्राम–दलापट्टी, थाना उदयपुर, जिला– प्रतापगढ़।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. शैलेन्द्र प्रताप सिंह सुत स्व 0 अशोक कुमार सिंह,
2. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व 0 अशोक कुमार सिंह
3. वीरेन्द्र प्रताप सिंह सुत स्व 0 अशोक कुमार
   समस्त निवासीगण ग्राम–तोरई, थाना असन्दरा, जिला बाराबंकी।
4. राज्य उ 0 प्र 0।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. निगरानीकर्ता की ओर से परिवाद संख्या–4133/2023, सन्त बख्श सिंह बनाम शैलेन्द्र प्रताप सिंह आदि, थाना–महिला थाना, जिला– प्रतापगढ़ की पत्रावली में न्यायालय, अपर सिविल जज (जू0 डि0) कक्ष संख्या–15, प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.03.2024 के निर्णय/आदेश से क्षुब्ध होकर फौजदारी निगरानी प्रस्तुत की गयी।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि परिवादी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत कर संक्षेप में कहा गया कि उसकी पुत्री कृष्णा सिंह का विवाह विपक्षी संख्या 1 शैलेन्द्र प्रताप सिंह के साथ दिनांक 24.06.2011 को हिन्दू धर्म व रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। परिवादी ने अपनी क्षमता व सामर्थ्य से अधिक 11 लाख रूपये उपहार स्वरूप दान दहेज में खर्च किया था। दोनों के संसर्ग से माह अगस्त सन् 2013 में एक लड़की पैदा हुई, उसके बाद पति शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सास उर्मिला सिंह व देवर वीरेन्द्र प्रताप सिंह कम दहेज लेकर आने के लिए तरह–तरह के ताने व व्यंग्य करने लगे और अतिरिक्त दहेज के रूप में पाँच लाख रूपये नगद व रायबरेली जनपद सड़क के किनारे दो विश्वा जमीन खरीदकर देने की मांग करने लगे। आये दिन किसी न किसी बहाने से प्रताड़ित करने लगे और मारने–पीटने लगे। परिवादी की लड़की ने इसकी जानकारी परिवादी को दिया तो परिवादी ने अपनी मजबूरी बताया लेकिन विपक्षीगण अपनी मांग व जिद पर अड़े रहे। परिवादी

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.06.29 12:39:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की पुत्री कृष्णा सिंह को उसका पति शराब के नशे में माँ बहन की गन्दी गन्दी गालियाँ देते हुए मारा–पीटा करता था और सास बेटे का समर्थन करते हुए कृष्णा सिंह को घर के ऊपर कमरे में रहने के लिए मजबूर करती थी। परिवादी की पुत्री ने जब प्रताड़ना का विरोध किया किया तो पति, सास व देवर ने उसे मार पीटकर उसके सभी गहने तथा उपयोगी कपड़े व सामानों को छीनकर सन् 2017 में दिनांक 17.08.2017 को शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने उसके मायके पहुँचा दिया। परिवादी की पुत्री कृष्णा सिंह अपने भाई के साथ दिनांक 25.10.2019 को अपने ससुराल गई। पन्द्रह दिन बाद पति ने पुनः मायके पहुँचा दिया। उपरोक्त लोग दिनांक 18.04.2022 को विदा कराकर ले गये, लेकिन पुनः दहेज की मांग करने लगे और अंतिम बार दिनांक 25.04.2022 को उसके पति ने मायके पहुँचा दिया तब से परिवादी की पुत्री कृष्णा सिंह अपने मायके में रह रही है। परिवादी ने कई बार समझौते का प्रयास किया तो उपरोक्त लोग परिवादी को गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे।

3. जॉचोंपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह को धारा–498 ए, 323 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया।

4. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानी प्रस्तुत करते हुए निगरानीकर्ता ने संक्षेप में कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश नियम कानून व वास्तिवक तथ्यों के प्रतिकूल है। परिवाद में यह आरोप अंकित किया गया कि निगरानीकर्ता की पुत्री कृष्णा सिंह का विवाह विपक्षी/अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था, जिसमें पर्याप्त दहेज, स्वर्णाभूषण, घरेलू उपयोग के सामान तथा लगभग 11 लाख रुपये नकद प्रदान किये गये थे। विवाह के उपरान्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह, उर्मिला देवी एवं वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में 05 लाख रुपये नकद एवं रायबरेली रोड पर स्थित 02 बिस्वा भूमि की मांग की जाने लगी तथा मांग पूरी न होने पर कृष्णा सिंह को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा कृष्णा सिंह के स्त्रीधन, आभूषण, कीमती वस्त्र एवं अन्य सामान अपने पास रख लिये गये तथा उसे मारपीट कर मायके भेज दिया गया। परिवादी तथा साक्षियों के धारा 200 एवं 202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दर्ज बयानों से भी अभियुक्तगण की संलिप्तता स्पष्ट है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से केवल शैलेन्द्र प्रताप सिंह को धारा 498 ए/323 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत तलब किया गया तथा उर्मिला देवी एवं वीरेन्द्र प्रताप सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। साथ ही, स्त्रीधन के गबन से सम्बन्धित आरोपों के होते हुए भी धारा 406 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत संज्ञान नहीं लिया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का

सम्यक अवलोकन नही किया गया है तथा प्रश्नगत आदेश सरसरी तौर पर पारित किया गया है। निगरानी स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश निरस्त किया जाये तथा समुचित आदेश पारित किया जाये।

5. सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

6. प्रश्नगत निगरानी में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.03.2024 में शुद्धता, औचित्य एवं क्षेत्राधिकार के बारे में विचार किया जाना है।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि धारा–200 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परिवादी ने कहा कि उसकी बेटी कृष्णा की शादी शैलेन्द्र प्रताप सिंह के साथ दिनांक 24.06.2011 को हुयी थी। सामान के अतिरिक्त 15 लाख रूपये नकद दिया था। परिवादी के दामाद बेटी को दहेज के लिये मारते–पीटते थे एवं प्रताड़ित करते थे। परिवादी ने अपने दामाद व उसके घरवालों को समझाया लेकिन वे लोग नही माने। धारा–202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत पीड़िता को परीक्षित कराया गया है। निगरानी में निगरानीकर्ता की ओर से कहा गया कि सभी अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रताप सिंह , उर्मिला देवी व वीरेन्द्र प्रताप सिंह के विरूद्ध मामला धारा–498 ए, 323, 406 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत बनता है, किन्तु विचारण न्यायालय ने मात्र अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह को धारा– 498 ए, 323 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 13.03.2024 को निरस्त करते हुए सभी अभियुक्तगण को विचारण हेतु तलब किया जाये।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह के साथ पीड़िता की शादी दिनांक–24.06.2011 को होना बताया गया है। परिवाद वाद सन 2023 में पीड़िता के पिता की ओर से प्रस्तुत किया गया है। शादी के करीब 11–12 वर्ष बाद दहेज संबंधी मामले में परिवाद वाद दाखिल किया गया है। श्रीमती उर्मिला देवी, वीरेन्द्र प्रताप सिंह पीड़िता के सास व देवर होना बताया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुक्रम में अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह धारा–498 ए , 323 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है। धारा–200 दं.प्र.सं. के बयान मे परिवादी ने कहा है कि दिनांक–24.06.2011 को पीड़िता के साथ शैलेन्द्र प्रताप सिंह की शादी हुयी थी। दामाद बेटी को दहेज के लिये प्रताड़ित करते थे तथा आये दिन मारते–पीटते थे। जांचोपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह को अंतर्गत धारा–498 ए, 323 भा0 दं0 सं0 में विचारण हेतु तलब किया है। विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की कोई क्षेत्राधिकारिता एवं विधि की त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित नहीं होती है।

9. उपरोक्त तथ्यो, विधि सिद्धान्तों एवं प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन करने के उपरान्त विधिक रूप से प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। आदेश दिनांकित–13.03.2024 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानीकर्तागण की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

10. निगरानीकर्ता की फौजदारी निगरानी **निरस्त** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.03.2024 **पुष्ट** किया जाता है। निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय /कार्यालय में अविलम्ब आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

दिनांकः– 29.06.2026

(राम लाल–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।

10. उक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–29.06.2026
स्टेनो–सर्वेश सिंह

(राम लाल–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
JO Code–UP 6467